(149)

न्यायालय समक्ष सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

श्री राकेश कुमार मिश्रा एड. द्वारा पेश। 7-8-14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-3061-III/14

1— रामसजीवन पिता रामस्वरूप चतुर्वेदी

2— राजमणि तिपा रामस्वरूप चतुर्वेदी

3— रामगोपाल पिता अनंतराम चतुर्वेदी

4— रामानुज पिता अनंतराम चतुर्वेदी

सभी निवासी ग्राम खाम्हा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

450 7-8-14

———निगरानीकर्तागण

बनाम

1— गंगा प्रसाद पिता रामभुवन चतुर्वेदी

2— जमुना प्रसाद पिता रामभुवन चतुर्वेदी

दोनो निवासी ग्राम खाम्हा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील गुढ़, जिला रीवा जरिये प्रकरण क0—26/अ27/2011—12 आदेश दिनांक 14/07/14 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

क्रमांक 2746 ... पोस्ट द्वारा आज 25-8-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से काबिले निरस्तगीय है ।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का सही ढंग से पालन नही किया क्योकि यदि

रामसजीवन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– R3061-III/2014 जिला–रीवा

रामसजीवन चतुर्वेदी/ गंगा प्रसाद चतुर्वेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. **आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित।** 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 26/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	
14/2/19		

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 1/4/2019
सदस्य